P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-IV **Paper Name- Law of Evidence** **Unit -1**

प्रश्न - स्वीकृति को परिभाषित कीजिए ! वे कौन - कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा स्वीकृति की जा सकती हैं !

उत्तर:- स्वीकृति की परिभाषा - स्वीकृति वह [मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रा के रूप में - अन्तर्विष्ट] कथन हैं, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो एतस्मिनपश्चात् वर्णित हैं।

स्वीकृति की परिभाषा - धारा 17 में 'स्वीकृति' की परिभाषा निम्न प्रकार है -

"स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी [या इलेक्ट्रानिक रूप में अन्तर्विष्ट] कथन है, जो किसी विवाद्यक तथ्य (fact in issue) या सुसंगत तथ्य (relevant fact) के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है (suggests any inference) और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा (made by any of the persons) और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो एतस्मिनपश्चात् वर्णित है (under the circumstances, hereinafter mentioned)।"

किसी व्यक्ति द्वारा केवल यह स्वीकार करना कि उसने किसी कागज पर, यह जाने बगैर कि यह था अर्थात् उसको प्रकृति एवं अन्तर्वस्तु (nature and contents) क्या थी, अंगूठा लगाया था या हर किये थे, इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने दस्तावेज निष्पादित किया (executed) था. इस सिद्धान्त का कारण बताते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि स्वीकृति केवल अनुमान इंगित करता है (Admission at best only suggest inferences)। न्यायालय को स्वीकृति के कथन के अन्दर-बाहर दोनों ओर से जाँच कर लेनी चाहिए और किसी व्यक्ति को उसके कथन से बाध्य करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि वह अंतिम तथा स्पष्ट (unequivocal) है। यह आवश्यक होना चाहिए कि स्वीकृति को बात स्वीकृति के विषय को पूर्णरूप से दर्शाये। अगर किसी पक्षकार का कथन विवाद्यक तथ्य पूर्ण रूप से साबित नहीं कर देता है तो यह केवल स्वीकृति का एक अंश मात्र होगा, स्वीकृति नहीं ! एक अभियुक्त जो स्वयं क्षतिग्रस्त (injured) था और जिसका डॉक्टरी मुआइना हुआ था और उसने उसी सिसिले में डॉक्टर को बताया कि उसे चोटें कैसे लगी थीं, न्यायालय ने कहा कि यह एक प्रकार की स्वीकृति थी, इसलिए इसका साक्ष्य ग्राह्य था !

स्वीकृति जिस कथन में मिल रही हो, ऐसा कथन जैसा कि वह हो पूरा-पूरा पेश किया जाना चाहिए केवल न कि वही अंश जिसमें स्वीकृति आ रही है !

स्वीकृति कौन कर सकता है- धारा 18, 19 और 20 में वर्णित 7 प्रकार के व्यक्ति स्वीकृत कर सकते हैं

(1) कार्यवाही के पक्षकार !

(2) ऐसे पक्षकार द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता !

(3) **ऐसे पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत में हैं** - ऐसे पक्षकार द्वारा जो प्रतिनिधि की हैसियत (representative character) से बाद ला रहा हो या जिन पर उसी हैसियत से बाद लाया जा रहा हो, उस समय स्वीकृतियाँ किया जाना जबकि वह ऐसी हैसियत धारण करता हो जैसे न्यासी, निष्पादक, संरक्षक, प्रशासक, दिवालिए का समनुदेशिती आदि।

(4) ऐसा व्यक्ति जिसका कार्यवाही को विषय-वस्तु में साम्पतिक या धन सम्बन्धी हित है, ऐसा हित चालू रहने के दौरान जैसे भागीदारों, संयुक्त ऋणियों, संयुक्त मालिकों, संयुक्त किरायेदारों के कथन [धारा 18 (1)]।

(5) **पूर्ववर्ती हकवाला व्यक्ति** – ऐसा व्यक्ति जिससे वाद के पक्षकारों का बाद को विषय-वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ हो (derived their interest) ऐसा हित चालू रहने के दौरान [धारा 18(2)]

(6) **परव्यक्तियों** के कथन या स्वीकृतियाँ निम्न परिस्थितियों में ग्राह्य होती हैं

(i) यदि ऐसी स्वीकृतियाँ उन व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत हों (जो कि पक्षकार नहीं हैं) और वे उस स्थिति या दायिता के सम्बन्ध में है जो उस दावे में ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध लाया गया हो और

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(ii) यदि ऐसे कथन उक्त व्यक्ति की स्थिति और दायित्व के अस्तित्व के समय में किये गये हो और जबकि वह परव्यक्ति की स्वीकृति स्वहित के विरुद्ध हो, उसको अपनी स्थिति या दायित्व को प्रभावित करता है और जबकि यह स्थिति और दायित्व दावे के सकार के विरुद्ध साबित करना जरूरी है (धारा 19)।

(7) **मध्यस्थ (रेफरी) की स्वीकृति**- जबकि बाद या कार्यवाही का पक्षकार उस अन्य व्यक्ति को विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी (सूचना) के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट करता है जो कि पक्षकार नहीं है तो उस निर्दिष्ट व्यक्ति का कथन 'स्वीकृति होती है और ये निर्दिष्टकर्ता पक्षकार के विरुद्ध ग्राडा है (धारा 20)

प्रश्न - तैयारी स्वयं में अपराध नहीं हैं तैयारी की सुसंगतता संबंधी प्रावधानों की विवेचना कीजिए !

उत्तर:- धारा 8 में यह बताया गया है कि कार्य को करने के लिए जो तैयारी करनी पड़ती है। उसका साक्ष्य सुसंगत होता है। धारा कहती है कि विवाद्यक या सुसंगत तथ्य घटने के पूर्व उनके लिए जो तैयारी के कार्य होते हैं वे सुसंगत होते हैं। किसी अपराध के लिए तैयारी करना कोई अपराध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मार डालने के लिए पिस्तौल खरीदता है या किसी मकान को जला डालने के लिए माचिस खरीदता है तो यह कोई अपराध नहीं है। लेकिन एक बार अपराध हो जाने पर तैयारी का साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह स्वाभाविक ही है कि अपराध उसी ने किया होगा जो उसके लिए तैयारी कर रहा था धारा में दिया गया तीसरा दृष्टान्त (ग) तैयारी के बारे में है। विष देकर हत्या करने के मामले में यह साक्ष्य सुसंगत होगा कि हत्या के कुछ ही देर पूर्व एक व्यक्ति ने वैसा ही विष खरोदा जैसा कि हत्या में प्रयोग किया गया था। यह दृष्टान्त आर० बनाम पामर 26 के तथ्यों से मिलता-जुलता है जहां कि जूरी को तैयारी के साक्ष्य का महत्व (वजन) बताते हुये लाई कैम्पबेल ने कहा-"आप लोगों के सामने यह साक्ष्य है जो अधिक प्रत्यक्ष है जो यह है अभियुक्त ने वैसा ही विष (Poison) खरीदा किस प्रयोजन के लिये उसे विष चाहिये और वह प्रयोजन नहीं मालूम है। इसलिये आपको यह जानना है कि किस प्रयोजन के लिये विष खरीदा गया तथा किस प्रयोजन के लिये उसका प्रयोग किया गया। चौथे दृष्टान्त (प) में उन तथ्यों को सुसंगत बताया गया है जो वसीयत बनाने की तैयारी में किये जाते हैं। वसोयतों के बारे में प्रायः यह प्रश्न उठ सकता है कि वसीयत पर हस्ताक्षर असली है या कूटरचित दृष्टान्त कहता है कि यह तथ्य कि बहुत दिन पहले से वह व्यक्ति वसीयतों के बारे में तथा उस सम्पत्ति के बारे में पूछताछ करता रहा. जो वसोयत में सम्मिलित थी और उसने कई अन्य वसीयतें भी तैयार कराई थीं जो उसे पसन्द नहीं आई थी। यह सब वसीयत को तैयारों का साक्ष्य देने के लिए सुसंगत है।

अभियुक्त को ओर से तैयारी, अपराध को पूर्ण करने के लिए या अपराध के अन्वेषण को बचाने के लिए या अपराधी को भगाने में सहायता करने के लिए या सन्देह से बचने के लिए हो सकती है।

आम तौर पर तैयारी चार प्रकार की होती है

(1) अपराध कारित करने के लिए तैयारी।

(2) अपराध छुपाने के लिए तैयारी।

(3) अपराध के पश्चात् पुलिस से बचने (भागने) की तैयारी।

(4) अपराध के पश्चात् बचने की या सन्देह निवारण के लिए तैयारी

तैयारी किसी अपराध के होने के पूर्व की तैयारी है और यह दिखाने के लिए सुसंगत है कि अमुक कार्य एक आशय से किया गया, आकस्मिक रूप से नहीं हुआ। अभियुक्त ने अपराध करने से पहले तैयारी की थी, इस बात का साक्ष्य इसलिये ग्राह्य है क्योंकि इससे यह लक्षित होता है कि अभियुक्त ने ही अपराध को किया है। तैयारी केवल इस बात का साक्ष्य है कि जैसी योजना बनी थी, उसी के अनुसार कार्य हुआ है। योजना के अनुसार हमेशा कार्य नहीं दिया जाता है, किन्तु यदि किया जाता है तो यह योजना से अवश्य कुछ कुछ साम्य रखता है। इसलिए इस धारा के अन्तर्गत योजना सुसंगत तथ्य है

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

P.G.S NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

Paper-IV **Paper Name- Law of Evidence** **Unit -1**

तैयारी के साक्ष्य का प्रामाणिक मूल्य- तैयारी प्रदर्शित करने वाले तथ्य अधिक मूल्यवान होते हैं, किन्तु वे किसी प्रकार भी निश्चायक साक्ष्य नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि व्यक्ति के लिये सदैव पश्चाताप करने का अवसर है। जैसे कि एक व्यक्ति ने किसी की हत्या करने के लिए विष खरीदा, किन्तु कुछ समय पश्चात् वह विष नहीं देता है यह सोचकर कि यदि वह हत्या करेगा तो वह गिरफ्तार किया जायेगा और विचारण के पश्चात् फाँसी पायेगा। वह इस पर पश्चाताप करता है। इसी प्रकार गिरफ्तार होने पर वह यह अभिवाक् प्रस्तुत कर सकता है कि उसने वह विष अपने घर में चूहों के मारने के लिये खरीदा था। तैयारियों और पूर्व प्रयत्नों दोनों का प्रामाणिक बल इस उपधारणा पर आश्रित है कि विशिष्ट अपराध कारित करने का आशय अभियुक्त के मन में निर्मित हुआ था जो कि उस समय तक कायम रहा जब तक कि उसको निष्पादित करने का सामर्थ्य और अवसर प्राप्त हुआ था। हत्या के विचारण में प्रयोग किये गये उपकरण का कब्जा प्रदर्शित करना, यह तथ्य कि उसने कुछ काल पूर्व ऐसा उपकरण चुराया था, साबित किया जा सकता है और साधारणतया समस्त प्रारम्भिक कार्य चाहे वे आपराधिक हो या न हो, कि उस अपराध को सुकर, सुरक्षित निश्चित और प्रभावी करते हैं, तैयारी के रूप में ग्राह्य होते हैं।

प्रश्न - क्या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की स्वीकृति को अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध किया जा सकता हैं ? इस सन्दर्भ में विधि के सिद्धान्तः तथा उद्देश्य का वर्णन कीजिए !

उत्तरः- धारा 25 के अनुसार पुलिस अफसर के समक्ष की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित न की जायेगी। जिन आधारों पर संस्वीकृतियों को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, यह स्पष्ट है। संस्वीकृति सर्वोत्कृष्ट साक्ष्य है, क्योंकि यह तर्कसम्मत बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध तथ्यों को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जूरी और न्यायाधीश को प्रत्येक मामले में यह देखना पड़ेगा कि जो संस्वीकृति की गई है वह स्वेच्छा से की गई है अथवा अन्य कारण से की गई है। पुलिस अभियुक्त से अपराध के विषय में सूचना प्राप्त करने के लिये मारपीट तथा अन्य निर्दयतापूर्ण व्यवहार करती है। इन्हीं को रोकने के उद्देश्य से भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 25 और 26 की रचना की गई है। "संशयित व्यक्तियों के साथ सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्दयता के साथ व्यवहार करना पुलिस द्वारा जाँच का असभ्य, निर्दयतापूर्ण तथा निन्दनीय तरीका है। जिन व्यक्तियों पर विधि को लागू करने का भार सौंपा गया है, उन्हें विधि को उचित रीती से पालन करना चाहिये। अन्य बातों के समान पुलिस द्वारा जाँच भी साक्ष्य साधन को न्यायसंगत नहीं सिद्ध करता है। साधन उतने हो महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि साध्य! इसी कारण धारा 25 और 26 का उद्देश्य पुलिस द्वारा मन्त्रणा देने की आदत को दूर करना है। इस धारा के अन्तर्गत पुलिस अफसर के सामने की गई संस्वीकृति ग्राह्य नहीं है। अतएव पुलिस अफसर के सामने दिया गया वक्तव्य साक्ष्य रूप में अग्राह्य होता है। धारा 25 में यदि व्यक्ति पुलिस को हिरासत में होने की अवस्था में किसी प्राइवेट व्यक्ति से संस्वीकृति करता है तो वह ग्राह्य नहीं होता है।

उदाहरण- क की अप्रैल, 1954 ई० को हत्या कर दी गई। पुलिस के दरोगा ने ख को क की हत्या करने के लिए गिरफ्तार किया ख दरोगा के सामने कहता है कि उसी ने क की हत्या किया है। विचारण में अभियोजन (prosecution) ख द्वारा दरोगा से की गई संस्वीकृति को साबित करना चाहता है। यह कथन साबित नहीं किया जा सकता धारा 25 के अन्तर्गत संस्वीकृति को अपवर्जित करने की कसौटी यह है "किस व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति की गई?" यदि उत्तर यह हो कि संस्वीकृति पुलिस अफसर के समय की गई है तो विधि कहती है कि ऐसे कथन को पूर्णतया साध्य से अपवर्जित कर देना चाहिए क्योंकि जिस व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति की गई है, यदि यह ऐसो संस्वीकृति को साबित करता है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति को संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए दबाव डालने का संदेह किया जा सकता है।

क्षेत्र- यह सर्वविदित है कि इस देश में पुलिस अभियुक्त से धोखेबाजी और यातनाओ के द्वारा संस्वीकृति करवाती है और उसके आधार पर हो उसको सिद्धदोष (guilty) घोषित करने के लिये कोशिश करती रहती है। इन गर्हित कार्यवाहियों को रोकने के उद्देश्य से, एवं इस उद्देश्य से भी कि पुलिस को यह प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये कि गर्हित कार्यवाहियों द्वारा करायी हुयी संस्वीकृतियों के आधार पर अभियुक्त को दोषी साबित करके यह निर्णय प्राप्त हो सकेगा, यह धारा अधिनियमित की गयी है 128 साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 एक स्वस्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। इस धारा की व्याख्या संकुचित या तकनीकी अर्थों में में नहीं की जानी चाहिये। परन्तु इस धारा को व्याख्या विस्तृत तथा प्रचलित अर्थों में की जानी चाहिये। परन्तु इसी समय

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

उसको व्याख्या इतने विस्तृत अर्थों में भी नहीं की जानी चाहिये कि उसके अन्तर्गत उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर लिया जाये जिन्हें पुलिस को प्रदान की गयी शक्तियों में से कुछ शक्तियों प्राप्त हो मामले में यह शंका व्यक्त की गयी है कि विधान मण्डल का उपर्युक्त उद्देश्य सफल हो सकता, यह जा सन्देहास्पद है, क्योंकि यह भी सर्वविदित है कि देश में पुलिस का पहला प्रयत्न यह होता है कि अभियुक्त से संस्वीकृति करा ले और फिर उसके सहारे अपराध से सम्बन्धित किसो सम्पति या वस्तु की वसूली कराके या अन्य सहअपराधियों के विषय में जानकारी प्राप्त करके अभियुक्त का दोष साबित कर दें।

सिद्धान्त- इस धारा का अन्तर्निहित सिद्धान्त यह है कि पुलिस द्वारा करायी गयी संस्वीकृति विश्वसनीय नहीं होती और असत्य और सन्देहास्पद संस्वीकृति का साक्ष्य में ग्रहण कर लेना खतरे से खाली नही होता। अतः उन संस्वीकृतियों को छोड़कर जिनको धारा 27 ग्राह्य घोषित करती है, पुलिस से की हुई संस्वीकृतियाँ इस धारा के अनुसार है

विस्तार- धारा 25 का उद्देश्य यह है कि पुलिस से की गयी संस्वीकृति अग्राह्य होगी। अतः अन्वेषण के प्रारम्भ से पूर्व किया हुआ, या अन्वेषण की कार्यवाही से पृथक किया हुआ कथन यदि वह संस्कृति की को होगा। यह धारा अन्वेषण के दौरान में किये गये कथनों तक ही सीमित नहीं है।

इस प्रकार यदि पुलिस एक मामले में जांच कर रही हो और उसके दौरान किसी दूसरे अपराध के विषय में कोई व्यक्ति संस्वीकृति करता है, तो वह स्वीकृति भी इस धारा से शासित होगी। ध्यान रखने की में। बात है कि यही संख्याकृति जो पुलिस से की गयी ग्राह्य नहीं होती है। जैसे ही न्यायालय को यह मालूम हो जाता है कि संस्कृति पुलिस से की गयी, वह उसे तुरन्त अगृहीत कर देगा ! किन्तु पुलिस अफसर लिखे गये पत्र में अन्तरित संस्वीकृति इस आधार पर प्राथमान ली गयी कि वह पुलिस अफसर को साक्षात् उपस्थिति में नहीं को गयो थी इस प्रकार, पुलिस को किया गया कथन अभियोजन की सम्वृष्टि के लिये अथवा दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिये प्रयुक्त नहीं की जा सकती !

एक अपराध में अभियुक्त की संस्कृति को धारा 25 के अन्तर्गत अपवर्जित (बनाने हेतु दो शर्तें पूरी होनी चाहिये-(1) संस्वीकृति पुलिस अधिकारी को की गयी थी तथा (2) जिस व्यक्ति को संस्वीकृति की गयी थी वह पुलिस अधिकारों था !

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW